एक ही धंधा पूरे जिंदल खानदान का

पेज एक का शेष

एसआरएस मॉडर्न सेल्स लिमिटेड, एसआरएस मेडिटेक लिमिटेड, एसआरएस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स प्रा लि, आकृति ग्लोबल ट्रेडर्स लिमिटेड, लेटेस्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड (पूर्व नाम एसआरएस आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड)।

इनके अलावा एसआरएस द्वारा रजिस्टर्ड कराई गई 200 से ज्यादा शेल कंपनियां हैं जो या तो फ्राड करने के बाद खत्म हो चुकी हैं या कागजों पर ही हैं। मजदूर मोर्चा में उन सारी कंपनियों के नाम छापना जगह की कमी के कारण मुश्किल है लेकिन मजदूर मोर्चा के पास उन कंपनियों की लिस्ट है। इनमें से कुछ कंपनियों ने खुद ही मुकदमे कर रखे हैं कि उन कंपनियों ने एसआरएस फाइनैंस से लोन ले रखा है जबकि एसआरएस फाइनैंस खुद बैंक लोन के तहत एनपीए हो चुकी है।

भाजपा और सरकार से याराना

अनिल जिंदल का देश औऱ हरियाणा की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा से नजदीकी संबंध है। 19 जुलाई 2015 में उनके कार्यक्रम में मंत्री कृष्णपाल गूजर, विपुल गोयल समेत फरीदाबाद के सारे छटे हुए और बदनाम प्रॉपर्टी डीलर मौजूद थे। सेक्टर 12 में एसआरएस के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में अनिल जिंदल ने 28 लाख रुपये की एक सफाई मशीन नगर निगम फरीदाबाद को भेंट की थी जिसका फीता काटने भाजपाई पहुंचे थे। यह मात्र एक उदाहरण भर है। अनिल जिंदल की पैठ भाजपा में बहुत गहरी है।

अनिल जिंदल का परिचय

अनिल जिंदल ने पढ़ाई की बड़ी से बड़ी डिग्री नहीं छोड़ी है। उनकी प्रोफाइल में उनके नाम के साथ डीलिट, पीएचडी और एमबीए सबसे बाद में लिखा है। उनकी वेबसाइटों पर जगह जगह उनका नाम डॉ. अनिल जिंदल लिखा है। यानी अनिल जिंदल के पास काफी दिमाग है, तभी वह इतने हाई लेवल की पढ़ाई कर सके। उन्होंने 1990 में एसआरएस ग्रुप की स्थापना की। कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस मथुरा रोड पर मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के पास है।

उनकी एसआरएस लिमिटेड, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और बांबे स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा एसआरएस रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व एसआरएस फाइनैंस लिमिटेड बांबे स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। कंपनी के शेयरों की हालत आप बीएसई और एनएसई की साइट पर जाकर खुद भी पता कर सकते हैं।

वर्ष 2014-15 में 6000 करोड़ के टर्नओवर का दावा अनिल जिंदल भारत सरकार के सामने कर रखा है। डॉक्टर साहब ने भारत के तमाम बड़े शहरों के अलावा शारजाह (सऊदी अरब) और अमेरिका में जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के दावे कर रखे हैं। उनके प्रोफाइल में दावा किया गया है कि अनिल जिंदल ग्रोसरी बेचने से लेकर दवाई, जूलरी, माइनिंग, फार्मेसी, हेल्थकेयर, एंटरटेनमेंट, कमॉडिटी, ई-कॉमर्स, शिक्षा रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, सर्विसेज, रियल एस्टेट के अलावा न जाने किन-किन बिजनेस में हैं। 33 शहरों में एसआरएस किसी न किसी रूप में मौजूद है। इतने सारे दावों और टर्नओवर के बावजूद एसआरएस पर बैंकों की लोन वापसी का रेकॉर्ड बेहद खराब है और इसी वजह से एनपीए घोषित किया गया।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. 5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
6. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक
10. आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद

डाक से मजदूर मोर्चा मंगवाने वाले पाठकों से अनुरोध

डाक द्वारा मजदूर मोर्चा प्राप्त करने वाले स्थानीय पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रति प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से सम्पर्क करें, क्योंकि 12 फरवरी से साप्ताहिक होने के पश्चात- अखबार को डाक द्वारा भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।

एसआरएस ने भी फ़र्जी कंपनियों की आड़ में बैंकों का 2000 करोड़ लूटा.....

पेज एक का शेष

रुपये मिले, उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट के नाम पर एसआरएस में लगा दिया गया। मज़दूर मोर्चा की पड़ताल बताती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स मात्र पर्ची के आधार पर एसआरएस में पैसा निवेश कर रहे थे। इन पैसों के लिए वो प्राइवेट निवेशक न तो कोई मुकदमा कर सकते हैं और न कहीं गुहार लगा सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स बता नहीं पाएंगे कि उनके पास एसआरएस में पैसा लगाने के लिए कहां से आया।

एसआरएस ने बाजार में सबसे पहले अपनी साख बनाई। कई सारे मॉल और बिल्डिंग जगह-जगह खड़ी कर दी गई। इनमें बैंकों का पैसा लगा। प्राइवेट निवेशकों और पब्लिक में जब यह साख बन गई कि जिसकी इतनी इमारतें इस शहर में खड़ी हैं वो कहां भागेगा। इसके बाद अनिल जिंदल के एजेंट पूरे जिले में और एनसीआर के अन्य शहरों में फैल गए और करोड़ों रुपये निवेशकों से वसूल लिए। यह बहुत स्पष्ट है कि बैंक थोड़ा बहुत पैसा जिंदल से वसूल लेंगे लेकिन प्राइवेट निवेशक या फ्लैट का इंतजार कर रहा शख्स जिंदल से एक पाई भी वसूल नहीं पाएगा।

एसआरएस फाइनैंस के नाम पर धोखाधड़ी

अनिल जिंदल ने एसआरएस फाइनैंस कंपनी के नाम पर बैंकों से लोन उठाया। फिर इस कंपनी से अपनी फर्जी कंपनियों को लोन दिया। इसके बाद नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में अपनी ही फर्जी कंपनियों पर केस किया कि ये कंपनियां दिवालियां हैं जो एसआरएस फाइनैंस को दिया हुआ लोन नहीं चुका रही हैं।

एसआरएस फाइनैंस बाकी बैंकों का लोन कैसे चुकाए जब उसको बाकी कंपनियां यानी जिंदल की ही फर्जी कंपनियां दिया हुआ लोन वापस नहीं कर रही हैं। अनिल जिंदल ने यह खेल इतने बड़े पैमाने पर खेला है, जिसमें तमाम बैंकों के बड़े अधिकारी शामिल थे। केनरा बैंक को छोड़कर अभी तक किसी बैंक का केस सामने नहीं आया जिसने अनिल जिंदल से वसूली की कार्रवाई शुरू की हो। बैंकों की यह खामोशी बताती है कि जनता के पैसे की लूट में उनकी मर्जी सिर्फ नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या ही नहीं बल्कि अनिल जिंदल के मामले में भी है।

फर्जी कंपनियों में कर्मचारी डायरेक्टर

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एसआरएस फाइनैंस लिमिटेड बनाम माधव बुलियंस एंड जूलर्स लिमिटेड केस चल रहा है। माधव बुलियंस एंड जूलर्स अनिल जिंदल की एक फर्जी यानी शेल कंपनी है। कागजों में माधव बुलियंस एंड जूलर्स के दो डायरेक्टर बलराज और सतीश दिखाए गए हैं। जबकि यह दोनों घोषित रूप से अनिल जिंदल की दूसरी कंपनी में काम करते हैं। यह दोनों अनिल जिंदल के मूल गांव फिरोजपुर कलां के ही रहने वाले हैं।

ट्रिब्यूनल में दिवालिया घोषित होने का एक केस एसआरएस फाइनैंस लिमिटेड बनाम ओमेगा जूलर्स प्राइलेट लिमिटेड के बीच चल रहा है। यह भी अनिल जिंदल की फर्जी कंपनी है। ओमेगा के डायरेक्टर कागजों में बलराज व धरमपाल को दिखाया गया है। यह दोनों भी जिंदल की कंपनी में काम करते हैं और उनके गांव के रहने वाले हैं।

जिंदल ने 1 अक्टूबर 2015 को एक शेल कंपनी एसआरएस बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड एक लाख रुपये के पेडअप कैपिटल से बनाई। इसमें डायरेक्टर्स नानक चंद तायल और बिशन बंसल को बनाया। कुछ दिन बाद जिंदल ने अपने बाउंसर देवेंद्र अधाना को भी इस कंपनी में डायरेक्टर बना दिया। अधाना ने 5500 पीडीसी चेक यानी आगे के समय में भुगतान किए जाने वाले करोड़ों के चेक काट दिए। कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स और संभावित फ्लैट के मालिक पीडीसी लेकर खुश हो गए। लेकिन इसके बाद कंपनी का पता बदल दिया गया। तायल और बंसल ने डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। कंपनी में नया डायरेक्टर जिंदल ने अपने दूसरे बाउंसर कृष्ण कुमार को बनाया। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर एसआरएस कस्टोकेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी की अब कोई गतिविधि नहीं है। ये 5500 पीडीसी ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स नीलम चौक एनआईटी फरीदाबाद के खाता संख्या 00181131004942 और यूनियन बैंक फरीदाबाद मेन ब्रांच के खाता संख्या 354401010036468 के थे। इन चेकों के जारी होने के एक हफ्ते के अंदर ही यह कंपनी -नो बिजनेस- में आ गई। यानी कंपनी दिवालिया हो चुकी है जनता और प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपने पीडीसी चेक के साथ खुदकुशी कर ले या पुलिस थाने के चक्कर लगाता रहे।

गार्ड और चपरासी भी डायरेक्टर

मजदूर मोर्चा के पास उपलब्ध सूचना के मुताबिक अनिल जिंदल ने करीब 500 शेल कंपनियां बनाईं, हालांकि मजदूर मोर्चा ऐसी 200 शेल कंपनियों की पुष्टि कर पाया। जिनमें अनिल जिंदल के दफ्तर में चपरासी, गार्ड, ड्राइवर, पूर्व कर्मचारी, परिवार के लोग, रिश्तेदार, बाउंसर डायरेक्टर हैं। कुछ कर्मचारी बेचारे अनपढ़ हैं, वे जानते ही नहीं कि बिना उनकी अनुमति के वो लोग जिंदल की फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर हैं।

जिंदल की कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी नवनीत क्वात्रा (मेंबरशिप नंबर ए 16672) की जानकारी और हस्ताक्षर ये यह शेल कंपनियां बनी हैं। कंपनी सेक्रेटरी का फर्ज है कि ऐसी गतिविधि होने पर वह सरकार को सारी जानकारी दे। लेकिन नवनीत क्वात्रा ने ऐसा नहीं किया।

नोटबंदी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी घोषित की तो अनिल जिंदल की शेल कंपनियों ने एचडीएफसी बैंक सेक्टर 16 ब्रांच में 64 करोड़ पुरानी करंसी (500 व 1000 के नोट) जमा कराए। इसी बैंक की नीलम बाटा रोड ब्रांच में 55 करोड़ की पुरानी करंसी वाले 500 व 1000 के नोट जमा कराए। इनके अलावा अन्य बैंकों में फर्जी कंपनियों के खातों में जमा कराए गए और फिर नए नोट आने पर निकाल लिए गए। लगता है कि अभी तक ईडी या वित्त मंत्रालय की नजर में फरीदाबाद में हुए इतने बड़े फ्राड की जानकारी नहीं आ सकी है या राजनीतिक सरपरस्ती अपना काम कर रही हैं।

एक और घोटाला आया सामने, कर्मचारियों का 3200 करोड़ रुपया डकारा मालिकान ने

पेज एक का शेष

मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक ही इस मामले में कंपनियों के खिलाफ वारंट जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि पहले ही भारत तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के पीएनबी घोटाले से जूझ रहा है, इसमें भी अभी कुछ खुलासे होने शेष हैं।

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक कंपनियों द्वारा घपलेबाजी से टीडीएस चोरी करने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है। इस मसले पर यह भी खबरें आ रही हैं कि आयकर विभाग धोखाधड़ी से जुड़े आईपीसी के सेक्शन जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इस केस में बाजार की बड़ी—बड़ी मछलियां सामने आई हैं। हालांकि अभी नामों का खुलासा नहीं हो पाया है, मगर कहा जा रहा है कि देश का एक बड़ा बिल्डर भी टीडीएस चोरी में शामिल है। इस बिल्डर ने अपने कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस के बतौर 100 करोड़ रुपए काटे, मगर इसे सरकारी खाते में जमा न कर दोबारा अपने कारोबार में इस्तेमाल कर लिया।

टीडीएस चोरी में कई फिल्म प्रोडक्शन हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और स्टार्टअप का नाम भी सामने आ रहा है।

क्या है टीडीएस

टीडीएस वह रकम होती है जिसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में से बतौर टैक्स काटकर केंद्र सरकार के खाते में जमा करती हैं। चूंकि कर्मचारी इस रकम को कटवा चुके होते हैं तो आईटी रिटर्न भरते समय उन्हें इसकी चिंता नहीं होती कि टीडीएस कैसे भरा जाए। मगर इस घोटाले में कंपनियों ने कर्मचारियों का पैसा खुद इस्तेमाल कर लिया।ं कहा जा रहा है कि इन 447 कंपनियों के कर्मचारियों को टैक्स का पैसा एकमुश्त भरना पड़ सकता है।

नहर पर बना बाद का पुल टूटा

फ़रीदाबाद (म.मो.) गुड़गांव नहर को सोहना रोड की ओर से पार करके सेक्टर 25 की ओर जाने के लिये बना पुल दिनांक 9 मार्च की दोपहर में भरभराकर टूट गया। उस वक्त पुल पर से एक बड़ा ट्रक ट्राला, 2 छोटे ट्रक, एक पिकअप व कुछ दुपहिया वाहन तथा कुछ साइकिल सवार व पैदल लोग गुजर रहे थे।

1963-64 में बन कर चालू हुई नहर पर यह पुल 1970 के आस-पास तब बनाया गया था जब औद्योगिक सेक्टर 25 को विकसित किया गया। दिल्ली-मथुरा रोड व बल्लबगढ-सोहना रोड के पुलों का निर्माण तो नहर निर्माण के साथ ही कर दिया गया था। पहले से बने ये दोनों पुल अभी सही सलामत चल रहे हैं जबकि बाद में बना पुल भरभरा कर टूट गया। जाहिर है इस पुल के निर्माण में उस वक्त अच्छा-खासा घपला हुआ होगा।

उस वक्त निर्माता सरकारी अफ़सरों ने यह सोच कर घपला किया होगा कि इस पुल पर से कौनसा ज़्यादा एवं भारी ट्रैफ़िक गुजरेगा।

बीसियों बरस तक गुजरा भी नहीं। परन्तु ज्यों-ज्यों उद्योग एवं आबादी बढती गयी त्यों-त्यों पुल पर दबाव भी बढता गया। इसके बावजूद किसी सरकार ने यह जांचने की कोशिश नहीं की कि दिन ब दिन जर्जर होते इस पुल के कितने दिन और शेष बचे हैं?

दरअसल पता तो सब अधिकारियों को होता है कि पुल की हालत नाजुक है, इसी पुल की नहीं देश में अनेकों पुल ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है, लेकिन इस देश में यही प्रथा है कि जब तक वह पुल टूट कर, लोग़ों को दुर्घटना का शिकार न बना ले, तब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।